


6/8/24 * वादीगठ के जरिए वकील पत्रावली तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आप न्यायाधीश के लीगर। वादीगठ उमेशाएनए अगनीदेवी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि हमारे आपस में पक्षकारों का राजीनामा हो गया है इसलिए हम वाद को आगे चलना नहीं चाहते हैं। अतः भीतमकी से निवेदन है कि वाद अन्तर्गत धारा 88, 53(2), 188 RTI Act के जरिए विद्रो खारिज करवावे। वादी की पट्टा वकील इच्छादीन शाह ने भी है। अतः वादीगठ का वाद जरिए विद्रो खारिज किया जाना है। पत्रावली के तलब शुल्क होकर दारिद्र्य प्रमाण हो व गम्बल से रकम है।


अगनीदेवी

उमेशा शर्मा

सहायक कलेक्टर, सांघौर
सुपार्वण्ड अधिकारी, सांघौर

